कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायपुर (छ.ग.)

(प्रथम तल, विवेकानन्द काम्प्लेक्स, विवेकानन्द नगर, पेंशनबाड़ा, रायपुर दूरभाष क्रमांक 0771 4052270

E-mail : drcsraipur1@gmail.com)

क्रमांक/उ.आ.रा./गृ.नि./न.क्र.– 67/2026/ 00955 रायपुर, दिनांक 6 AUG 2026

कारण बताओ सूचना पत्र

(छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 53(2) अंतर्गत)

प्रति,

1. श्री प्रेम पाठक/वी.पी. पाठक– अध्यक्ष
2. श्रीमती सुनीता तिवारी/प्रदीप तिवारी– उपाध्यक्ष
3. श्री सुशील अग्रवाल/के.के. अग्रवाल–सदस्य संचालक मण्डल
4. श्री के.बी. गोस्वामी/एस.के. भारती–सदस्य संचालक मण्डल
5. श्री संजय शुक्ला/जे.एन. शुक्ला–सदस्य संचालक मण्डल
6. श्री संजीव वर्मा/बी.एल. वर्मा– सदस्य संचालक मण्डल
7. श्री दानसिंह देवांगन/आर.सी. देवांगन–सदस्य संचालक मण्डल
8. श्री चंदन साहू/डी.एम. साहू–सदस्य संचालक मण्डल
9. श्री संतोष साहू/जे.आर. साहू–सदस्य संचालक मण्डल
10. श्रीमती निवेदिता चक्रवर्ती/योगेश चक्रवर्ती

राजधानी पत्रकार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., रायपुर, पं.क्र.– 253

वस्तुतः राजधानी पत्रकार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, रायपुर, पं.क्र.– 253 छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी सोसाइटी है। उक्त सोसाइटी के संचालक मण्डल का निर्वाचन दिनांक 24.02.2022 को हुआ था। आप संचालक मण्डल के सदस्य है। सोसाइटी का प्रबंध इस अधिनियम, इसके अधीन बनाये गये नियमों व सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार गठित किये गये संचालक मण्डल में निहित होता है।

संचालक मण्डल का कर्तव्य है कि वह छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, नियम 1962 एवं सोसाइटी की उपविधियों में विहित प्रावधानों का पालन करें।

श्री सुनील नामदेव, सदस्य, राजधानी पत्रकार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, रायपुर, पं.क्र.– 253 के द्वारा की गई शिकायत के जांच प्रतिवेदन (अंतरिम) में प्रतिवेदित है कि संचालक मण्डल के द्वारा –

1. संस्था की राशि के भुगतान में अनियमितता की गई है, राशि का दुरूपयोग करते हुए नियम विपरीत ढंग से अन्य अनधिकृत व्यक्ति/संस्था को भुगतान या अंतरित किया गया है। इस प्रकार संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है।
2. छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, नियम 1962 एवं सोसाइटी की पंजीकृत उपविधि के अनुसार वार्षिक आमसभा विधिवत आमंत्रित नहीं की गई है, जिससे सोसाइटी की आमसभा के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होना परिलक्षित होता है।
3. छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, नियम 1962 का पालन किये बिना सोसाइटी के पंजीकृत पते में तब्दीली की गई है।
4. सोसाइटी में आवश्यक दस्तावेज संधारित नहीं किया गया है।
5. सोसाइटी का संचालक मण्डल छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, नियम एवं सोसाइटी की पंजीकृत उपविधि के द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों का निवर्हन करने में उपेक्षावान है और अपने कर्तव्यों का पालन करने हेतु रजामंद नहीं है (अनिच्छुक है)।

उपरोक्तानुसार अंतरिम जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि राजधानी पत्रकार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, रायपुर, पं.क्र.— 253 का संचालक मण्डल छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों के निवर्हन में उपेक्षावान है और कर्तव्यों का पालन करने के लिए रजामंद नहीं है। ऐसे में संचालक मण्डल के बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। अतः आप इस कारण बताओ सूचना पत्र की प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर लिखित में कारण बतायें कि संचालक मण्डल द्वारा किये गये उपरोक्त अनियमिततापूर्ण कृत्यों/संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचाने के कृत्यों, छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, नियम, सोसाइटी की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों के उल्लंघन के कृत्य के लिए क्यों न सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 53(1) के तहत् संचालक मण्डल को अतिष्ठित कर दिया जाये ?

उपरोक्त निर्धारित समयावधि अंतर्गत आपका स्पष्टीकरण/जवाव इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होने अथवा आपका स्पष्टीकरण संतोषजनक एवं समाधानकारक नहीं होने की स्थिति में संचालक मण्डल को छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 53(1) के अंतर्गत अतिष्ठित (भंग) कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक 06/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

संलग्न — अंतरिम जांच प्रतिवेदन।
कुल (68) पृष्ठ

Sinh

(पूर्णिमा सिंह)
उप आयुक्त सहकारिता
एवं उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं,
जिला रायपुर

पृ. क्रमांक/उ.आ.रा./गृ.नि./न.क्र.— ....../2026/ [illegible] रायपुर, दिनांक AUG 20

प्रतिलिपि —

1. सर्व संबंधित श्री/श्रीमती सुनीता तिवारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक मण्डल सदस्य, राजधानी पत्रकार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, रायपुर, पं.क्र.— 253 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।
2. संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ।

Sinh

उप आयुक्त सहकारिता
एवं उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं,
जिला रायपुर

दिनांक 03/08/2026

प्रति,

उप आयुक्त,
सहकारिता एवं उप पंजीयक
सहकारी संस्थाएं जिला रायपुर

विषयः– राजधानी पत्रकार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, रायपुर के गंभीर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमिमता की जांच बाबत्।

संदर्भ :– कार्यालयीन आदेश क्रमांक 855, दिनांक 22.07.2026।

***

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित कार्यालयीन आदेश के परिपालन में गठित संयुक्त जांच दल द्वारा राजधानी पत्रकार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, रायपुर के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच की जा रही है।

जांच के दौरान अब तक उपलब्ध अभिलेखों, संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं कथनों के आधार पर जांच की वर्तमान स्थिति एवं प्रारंभिक निष्कर्षो से अवगत कराने के उद्देश्य से अंतरिम जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः जांच की वर्तमान वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु संलग्न अंतरिम जांच प्रतिवेदन का अवलोकनार्थ एवं अभिलेखार्थ सादर प्रेषित है।

संलग्न :– अंतरिम जांच प्रतिवेदन (पृष्ठ क्र. 01 से 07 तक)।
संलग्नक (पृष्ठ क्र. 01 से 86 तक)।

Handin 03/08/26
(रितेश तांडी)
व.स.नि. एवं जांच अधिकारी
कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता,
जिला– रायपुर (छ.ग.)

03/08/2026
(एम एल अनंत)
व.स.नि. एवं जांच अधिकारी
कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता,
जिला– रायपुर (छ.ग.)

JLE निर्माण
3/8/26

उप आयुक्त सहकारिता, जिला रायपुर
779
03.08.26

अंतरिम जांच प्रतिवेदन

विषय :– राजधानी पत्रकार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, रायपुर के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच के संबंध में अंतरिम प्रतिवेदन।

संदर्भ :– कार्यालयीन आदेश क्रमांक 855 दिनांक 22.07.2026।

उपरोक्त संदर्भित आदेश के परिपालन में गठित संयुक्त जांच दल द्वारा राजधानी पत्रकार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, रायपुर के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच के दौरान शिकायतकर्ता, वर्तमान संचालक मंडल एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों को पत्राचार कर जांच हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 28.07.2026 को संस्था के वर्तमान कार्यालय पता सामुदायिक भवन मिडिया सिटी, मोहबा बाजार, रायपुर में बयान एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, जांच के दौरान संस्था अध्यक्ष एवं संचालक मंडल के सदस्य तथा शिकायतकर्ता उपस्थित रहे, शिकायत से संबंधितों के बयान तथा साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों, दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। (संलग्न प्रदर्श – 01..............)

राजधानी पत्रकार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, रायपुर के वर्तमान अध्यक्ष श्री प्रेम पाठक द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि पूर्व अध्यक्ष/पूर्व प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समिति के समस्त अभिलेखों को वर्तमान संचालक मंडल को हस्तांतरित नहीं किए गए है। आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु लगभग दो माह का समय प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

(संलग्न प्रदर्श – 02..............)

जांच के दौरान समिति के कई अभिलेख उपलब्ध नहीं होने, के फलस्वरूप अंतरिम जांच प्रतिवेदन हेतु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. रायपुर में संचालित बैंक खाता के 01.04.2026 से 30.06.2026 तक के बैंक संव्यवहारों का परीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016 के पूर्व के बैंक स्टेटमेंट जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से तथा बैंक आफ बड़ौदा में खाता प्रारंभ होने की तिथि से वर्तमान तक के बैंक स्टेटमेंट उपलब्ध कराने हेतु संबंधित बैंकों को आवेदन प्रेषित की गई है। (संलग्न प्रदर्श – 03..............)

शिकायत जांच के दौरान उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रस्तुत बयान तथा साक्ष्य दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत प्राप्त तथ्यों के आधार पर अंतरिम जांच प्रतिवेदन बिन्दुवार निम्नानुसार है :–

<u>शिकायत क्रमांक – 01</u>

संस्था में वर्तमान संचालक मंडल के कार्यकाल में हुई में गंभीर वित्तीय अनियमितता के संबंध में।

<u>जांच के दौरान प्राप्त तथ्य एवं निष्कर्ष :–</u>

1. जांच के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों एवं संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संयुक्त रूप से लिखित बयान के आधार पर दिनांक 05.05.2026 एवं 06.05.2026 को समिति द्वारा श्री योगेश दुबे को वर्ष 2024 एवं 2025 के लेखांकन कार्य के संबंध में राशि 1,00,000.00 (अक्षरी एक लाख रूपये) का नगद भुगतान किया गया एवं दिनांक 06.05.2026 को वर्ष 2026 हेतु राशि 50000.00 (अक्षरी पचास हजार

Hondih

रूपये) का नगद भुगतान किया गया है। उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण से संबंधित वर्षो में समिति के बैंक खाते में पर्याप्त रशि उपलब होना परिलक्षित होता है, तथापि उन वर्षो में भुगतान न कर वर्ष 2026 में एकमुश्त नगद भुगतान किए जाने का स्पष्ट कारण अथवा अभिलेखीय आधार प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि संस्था के अंकेक्षित वित्तीय पत्रक अनुसार वर्ष 2023–24, 2024–25 व 2025–26 में उक्त कार्यो के लिये क्रमशः 15000.00, 16000.00 एवं 50000.00 रूपये का भुगतान लेखा कार्य हेतु पारिश्रमिक भुगतान करना दर्शित है। साथ ही श्री योगेश दुबे को उक्त कार्य हेतु अधिकृत किए जाने अथवा पारिश्रमिक स्वीकृत किए जाने संबंधी संचालक मंडल का कोई प्रस्ताव भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

इससे स्पष्ट होता है कि संस्था के अध्यक्ष एवं भुगतानकर्ता द्वारा श्री योगेश दुबे को लेखा कार्य हेतु राशि 150000.00 (अक्षरी एक लाख पचास हजार रूपये) का भुगतान दर्शाया जाकर उक्त राशि 150000.00 का अनियमिमता किया जाना पाया गया जो कि सहकारिता अधिनियम के प्रावधानों तथा संस्था के पंजीकृत उपविधि का स्पष्ट उल्लंघन की श्रेणी में आता है। (संलग्न प्रदर्श – 04..............)

2. जांच के दौरान उपलब्ध बैंक अभिलेख से यह तथ्य पाया गया कि दिनांक 01.12. 2023 को समिति के बैंक खाते से चेक क्र. 096144 के माध्यम से राशि 27400.00 रू. की राशि "सी. आई. एम. टी. हॉस्पिटल" के पक्ष में अंतरण कराया गया। उक्त अंतरित राशि के संबंध में श्री दान सिंह देवांगन ज़ो संस्था के संचालक मंडल सदस्य हैं एवं संस्था के बैंक खाते के संचालन हेतु अधिकृत बैंक हस्ताक्षरकर्ता भी है। राशि नामांकित हॉस्पिटल जिसमें श्री दान सिंह देवांगन स्वयं निदेशक है, जमा कराई गई है। जबकि संस्था की राशि बिना कार्यवाही प्रस्ताव पारित के अन्य किसी व्यक्ति, संचालक मंडल सदस्यों या अन्य संस्थाओं को भुगतान या अंतरित किया जाना घोर लापरवाही एवं वित्तीय अनियमिमता की श्रेणी में आता है, जिसके लिए प्रत्यक्ष रूप से संस्था के अध्यक्ष एवं संचालक सदस्य श्री दान सिंह देवांगन व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है। (संलग्न प्रदर्श – 04 में उल्लेखित......)

3. दिनांक 02.06.2026 को संचालक मंडल सदस्य श्री दान सिंह देवांगन को विधुत बिल भुगतान हेतु 30,000.00 अग्रिम राशि प्रदान की गई। उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण से उनके द्वारा विभिन्न दिनांकों में कुल 24,300.00 का विधुत बिल भुगतान किया जाना परिलक्षित हुआ। प्रमाण के रूप में "**CDSPL**" रायपुर को यूपीआई के माध्यम से भुगतान किया गया रसीद प्रस्तुत की गई, शेष राशि 5700.00 रूपये का किसी प्रकार का बिल या प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराई गई, इससे स्पष्ट होता है कि संस्था के पूंजी का व्यक्तिगत रूप से उपयोग करते हुए राशि का दुरूपयोग किया गया जो कि सहकारिता अधिनियम के प्रावधानों तथा संस्था के पंजीकृत उपविधि का स्पष्ट उल्लंघन की श्रेणी में आता है। (संलग्न प्रदर्श – 05..............)

4. बैंक स्टेटमेंट के अवलोकन से यह तथ्य भी सामने आया कि समिति के संचालक सदस्य श्री संतोष साहू एवं श्री दान सिंह देवांगन तथा अन्य संचालक मंडल सदस्यों के रिश्तेदारों (जैसे –दिनांक 18.11.2025, चेक क्र. 028337, राशि 100000.

Handita

00 यतीश पाठक को भुगतान) द्वारा विभिन्न दिनांकों पर समिति के खाते से नगद आहरण करना दर्शित है जिसका आधार हेतु किसी प्रकार का प्रस्ताव पारित करना नहीं पाया गया। जो कि सहकारिता अधिनियम, नियम एवं पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित प्रावधानों के विपरीत है। जिसके लिये संस्था के अध्यक्ष, बैंक हस्ताक्षरकर्ता एवं भुगतान प्राप्त व्यक्ति संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। (संलग्न प्रदर्श –04 में उल्लेखित)

5. दिनांक 02.06.2026 को श्री हरीश वर्मा को राशि 300000.00 (अक्षरी–तीन लाख रूपये) का भुगतान चेक क्रमांक 028367 द्वारा किया गया है, भुगतान का आधार एवं अभिलेखीय साक्ष्य अप्राप्त रहा। श्री वर्मा समिति के सदस्य भी नहीं है, उन्हें बिना कारण के संस्था की बड़ी राशि क्यों भुगतान की गई, किसी प्रकार की समाधानकारक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। जो कि सहकारिता अधिनियम, नियम एवं पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित प्रावधानों के विपरीत है। (संलग्न प्रदर्श –05 में उल्लेखित)

6. दिनांक 23.06.2026 को अधिवक्ता श्री आनंद मोहन ठाकुर को विधिक सलाह संबंधी मद में राशि 10,000.00 (अक्षरी–दस हजार रूपये)का भुगतान किया गया। उपलब्ध अभिलेखों से समिति पर लंबित किसी विधिक प्रकरण, अधिवक्ता नियुक्ति अथवा उक्त भुगतान की आवश्यकता एवं औचित्य का स्पष्ट अभिलेखीय आधार उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे स्पष्ट होता है कि सहकारिता अधिनियम के प्रावधानों तथा संस्था के पंजीकृत उपविधि का स्पष्ट उल्लंघन है। (संलग्न प्रदर्श –06 में उल्लेखित)

वर्तमान संचालक मंडल द्वारा बिन्दु क्रमांक 1 से लेकर 6 तक में संस्था के राशि या पूंजी का सदुपयोग नहीं करते हुए सहकारी अधिनियिम, नियम एवं पंजीकृत उपविधि के कंडिकाओं का उल्लंघन करते हुए वित्तीय अनियमिमताओं में संलिप्त होकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचायी गई जिसके लिये संस्था के अध्यक्ष एवं संचालक मंडल के सदस्य संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, इससे स्पष्ट होता है कि संस्था छ.ग. सहकारिता अधिनियम, नियम व संस्था की उपविधि के पालन हेतु रजामंद नहीं है और अपने दायित्व के प्रति उपेक्षावान है।

<u>शिकायत क्रमांक – 02</u>

समिति में विगत लगभग चार वर्षो से एक भी वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की गई है, जबकि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं नियमों के अनुसार वार्षिक आमसभा आयोजित किया जाना अनिवार्य है। वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं होने के कारण सदस्यों को समिति की वित्तीय स्थिति, बैंक खातों, संपत्तियों एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी।

<u>जांच के दौरान प्राप्त तथ्य एवं निष्कर्ष :–</u>

समिति द्वारा दिनांक 15.03.2022, 18.09.2022 एवं 26.01.2025 की आमसभा की कार्यवाही प्रस्तुत की गई। उपलब्ध कार्यवाही के परीक्षण से पाया गया कि वार्षिक आमसभा में वार्षिक वित्तीय विवरणों का पठन–पाठन, अनुमोदन, बजट स्वीकृति एवं अधिनियम एवं उपविधियों के अनुसार विचारणीय अन्य विषयों पर समुचित कार्यवाही अंकित नहीं है। साथ

Hardik

ही आमसभा आयोजित करने हेतु संचालक मंडल द्वारा एजेंडा निर्धारित किए जाने तथा संदस्यों को सूचना जारी किए जाने संबंधी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। जांच के दौरान संस्था के तात्कालिन उपाध्यक्ष श्रीमती सुनीता तिवारी द्वारा विगत साढ़े चार वर्षों के दौरान एक भी आमसभा आयोजित नहीं कराने का उल्लेख करते हुए किसी भी प्रकार की संस्था की गतिविधियों की जानकारी नही देने पर अपने पद से त्यागपत्र देने का मुख्य कारण बताया गया। इससे स्पष्ट होता है कि आमसभा आयोजन में सहकारिता अधिनियम के प्रावधानों एवं पंजीकृत उपविधि के कंडिकाओं का पालन एवं नियमानुसार प्रक्रिया नहीं अपनाया जाना पाया गया।

इससे यह स्पष्ट है कि आमसभा की सूचना विधिवत नहीं दिये जाने, आमसभा में अनिवार्य विषय बिन्दु का समावेश नहीं किये जाने से आमसभा के उद्देश्य की पूर्ति संभव नहीं है। अतः उक्त आमसभा का आयोजन संदिग्ध प्रतीत होता है, जो कि आमसभा नहीं करने के समान है। सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 49 एवं संस्था के पंजीकृत उपविधि का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके लिये संस्था के वर्तमान संचालक मंडल पूर्ण रूप से जिम्मेदार है तथा संस्था छ.ग. सहकारिता अधिनियम, नियम व संस्था की उपविधि के पालन हेतु रजामंद नहीं है और अपने दायित्व के प्रति उपेक्षावान है।

(संलग्न प्रदर्श – 07)

शिकायत क्रमांक – 03

सदस्यों को जानकारी से वंचित रखने के उद्देश्य से समिति का कोई स्पष्ट एवं अधिकृत कार्यालय पता उपलब्ध नही कराया गया तथा विभिन्न पतों का उपयोग बिना विधिवत अनुमति एवं संकल्प के किया गया।

जांच के दौरान प्राप्त तथ्य एवं निष्कर्ष :–

जांच के दौरान उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण से ज्ञात हुआ कि समिति द्वारा बी 87, ए, गायत्री नगर, शंकर नगर, रायपुर। उक्त पते के संबंध में किरायानामा, भवन स्वामी की सहमति, संचालक मंडल का संकल्प अथवा विभाग को सूचना दिए जाने संबंधी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। तथा ए–2, मीडिया सिटी, मोहबा बाजार, रायपुर का कार्यालय पते के रूप में उपयोग किया गया है। प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि संस्था के पते का स्थान बार–बार परिवर्तन किया गया है, जिसके संबंध में कार्यकारिणी का पारित प्रस्ताव एवं सदस्यों तथा सक्षम अधिकारी तथा संलग्नीकृत संस्थाओं को जानकारी प्रेषित नहीं किया जाना पाया गया, जिसके कारण सदस्यों को संस्था के मूल पते के स्थान की जानकारी प्राप्त नहीं हुई एवं संलग्नीकृत संस्थाओं तथा सक्षम कार्यालय को गलत पते के साथ पत्र व्यवहार किया जाता रहा, जो कि सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 13 एवं संस्था के पंजीकृत उपविधि का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके लिये संस्था के संचालक मंडल पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। यह अभिलेखिय पारदर्शिता एवं संस्थागत उत्तरदायित्व पर गंभीर प्रश्न उत्पन्न करता है, इससे स्पष्ट होता है कि संस्था छ.ग. सहकारिता अधिनियम, नियम व संस्था की उपविधि के पालन हेतु रजामंद नहीं है और अपने दायित्व के प्रति उपेक्षावान है।

(संलग्न प्रदर्श – 08)

Shundil

शिकायत क्रमांक – 04

समिति के अध्यक्ष श्री प्रेम पाठक का निर्वाचन नियम विरूद्ध किया गया है।

जांच के दौरान प्राप्त तथ्य एवं निष्कर्ष :–

संस्था के निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण परीक्षण किया जाना शेष है। निर्वाचन संबंधी अभिलेख प्राप्त कर अंतिम प्रतिवेदन में तत्संबंधी निष्कर्ष प्रस्तुत की जावेगी।

शिकायत क्रमांक – 05

तत्कालीन उपाध्यक्ष श्रीमती सुनीता तिवारी के त्यागपत्र के संबंध में अनियमितता की गई है।

जांच के दौरान प्राप्त तथ्य एवं निष्कर्ष :–

उपलब्ध अभिलेखों से ज्ञात हुआ है कि श्रीमती सुनीता तिवारी का त्यागपत्र संचालक मंडल द्वारा स्वीकार किए जाने का उल्लेख कार्यवाही में अंकित है, किंतु त्यागपत्र स्वीकृति की सूचना उन्हें प्रेषित किए जाने संबंधी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

श्रीमती सुनीता तिवारी द्वारा दिनांक 28.07.2026 को दिए गए कथन में यह उल्लेख किया गया कि जांच के दौरान उन्हें दिखाए गए दस्तावेजों एवं बोर्ड रेजोल्यूशन पर अंकित हस्ताक्षर उनके नहीं है तथा उन्होंने ऐसे किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए है। उन्होंने यह भी कथन दिया किय उन्हें संचालक मंडल की बैठकों की सूचना कभी विधिवत नहीं दी जाती थी। इस संबंध में बैठकों की सूचना जारी किए जाने का कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। संस्था के संरक्षक श्री सुजीत कुमार द्वारा भी बैठक कार्यवाही पर की गई हस्ताक्षर स्वयं का नहीं होना बताया गया।

उपरोक्त परिस्थितियों से यह परिलक्षित होता है कि संस्था के वर्तमान संचालक मंडल द्वारा समिति के दस्तावेज नियमानुसार संधारित नहीं की जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि संस्था छ.ग. सहकारिता अधिनियम, नियम व संस्था की उपविधि के पालन हेतु रजामंद नहीं है और अपने दायित्व के प्रति उपेक्षावान है।

शिकायत क्रमांक – 06

समिति के स्वीकृत ले–आउट के बाहर स्थित अतिरिक्त भूमि को समिति के कुछ व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से अवैध तरीके से विक्रय किए जाने की शिकायत की गई है।

जांच के दौरान प्राप्त तथ्य एवं निष्कर्ष :–

जांच के दौरान वर्तमान संचालक मंडल एवं शिकायतकर्ताओं दोनों द्वारा यह कथन किया गया कि समिति के समस्त मूल अभिलेख वर्तमान संचालक मंडल को पूर्व संचालक मंडल से प्राप्त नहीं हुए है। संबंधित आवश्यक अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण परीक्षण किया जाना शेष है। अभिलेख प्राप्त कर अंतिम प्रतिवेदन में तत्संबंधी निष्कर्ष प्रस्तुत की जावेगी।

Prandih

शिकायत क्रमांक – 07

अध्यक्ष पद पर रहते हुए श्री प्रेम पाठक द्वारा कितने भूखण्डों की रजिस्ट्री कराई गई, किन–किन व्यक्तियों को भूखण्ड आबंटित किए गए तथा प्राप्त राशि का लेखा–जोखा क्या है।

जांच के दौरान प्राप्त तथ्य एवं निष्कर्ष :–

भूखण्ड आबंटन, रजिस्ट्री, प्राप्त राशि एवं लेखा अभिलेखों का परीक्षण आवश्यक मूल अभिलेखों के अभाव में पूर्ण नहीं किया जा सका है। वर्तमान संचालक मंडल द्वारा समस्त मूल अभिलेख प्राप्त न होने का कथन किया गया है। संबंधित आवश्यक अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण परीक्षण किया जाना शेष है। अभिलेख प्राप्त कर अंतिम प्रतिवेदन में तत्संबंधी निष्कर्ष प्रस्तुत की जावेगी।

इसके अतिरिक्त अंकेक्षित वित्तीय पत्रक 2025–26 में 2293500.00 रूपये (अक्षरी–बाईस लाख तिरान्बे हजार पांच सौ रूपये) जमीन बिक्री मद में दर्शित है, जिसके संबंध में अध्यक्ष द्वारा अवगत करवाया गया कि प्लाट नंबर 57 की बिक्री की गई है जबकि संस्था की उक्त भूखण्ड का विक्रय पत्रकारिता पेशे से संबंधित व्यक्ति को ही आबंटित किया जा सकता था। अतः भूखण्ड का आबंटन सहकारिता विधान के अनुरूप करना नहीं पाया गया।

(संलग्न प्रदर्श – 09 अंकेक्षित आय-व्यय पत्रक)

शिकायत क्रमांक – 08

लगभग 15 वर्षो तक ऐसा व्यक्ति, जो समिति का विधिवत सदस्य नहीं था, स्वयं भूमि रजिस्ट्री, दस्तावेज़ों के निष्पादन एवं समिति के प्रशासनिक कार्यो का संचालन करता रहा। यदि यह तथ्य सही पाया जाता है तो यह सहकारी अधिनियम एवं उपविधियों का गंभीर उल्लंघन है। साथ ही उसके कार्यकाल में नियमित वार्षिक आमसभाएं एवं अंकेक्षण भी नहीं कराए गए।

जांच के दौरान प्राप्त तथ्य एवं निष्कर्ष :–

वर्तमान संचालक मंडल द्वारा पूर्व अवधि के मूल अभिलेख उपलब न होने की जानकारी दी गई है। संबंधित आवश्यक अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण परीक्षण किया जाना शेष है। अभिलेख प्राप्त कर अंतिम प्रतिवेदन में तत्संबंधी निष्कर्ष प्रस्तुत की जावेगी।

शिकायत क्रमांक – 09

समिति से संबंधित मूल अभिलेख वर्तमान में किसके पास है तथा क्या महत्वपूर्ण अभिलेखों में छेड़छाड़ अथवा वित्तीय अनियमितताओं को छिपाने का प्रयास किया गया है।

जांच के दौरान प्राप्त तथ्य एवं निष्कर्ष :–

वर्तमान संचालक मंडल द्वारा उनके अधिपत्य में उपलब्ध अभिलेख जांच दल के समक्ष प्रस्तुत किए गए है। साथ ही उनके द्वारा यह भी कथन किया गया कि समिति के समस्त मूल अभिलेख पूर्व अध्यक्ष द्वारा वर्तमान संचालक मंडल को हस्तांतरित नहीं किए गए है। पूर्व अध्यक्ष श्री प्रकाश शर्मा को उनके कार्यकाल के अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु

पृथक पत्र जारी किया गया है। आवश्यक अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत अंतिम प्रतिवेदन में तत्संबंधी निष्कर्ष प्रस्तुत की जावेगी।

उपरोक्त प्रतिवेदन जांच के दौरान उपलब अभिलेखों, संबंधित पक्षों के कथनों, बैंक अभिलेखों एवं अब तक किए गए परीक्षण के आधार पर अंतरिम रूप से तैयार किया गया है। जांच के दौरान यह तथ्य भी संज्ञान में आया कि समिति के समस्त मूल अभिलेख (2022 के निर्वाचन से पूर्व का) वर्तमान संचालक मंडल के पास उपलब्ध नहीं हैं तथा पूर्व पदाधिकारियों से अभिलेख प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त होना भी शेष है।(संलग्न - ज्ञाप - पृष्ठ)

अतः उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह अंतरिम प्रतिवेदन वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु प्रस्तुत किया जाता है। शेष अभिलेख प्राप्त होने, उनका परीक्षण पूर्ण होने तथा आवश्यक जांच कार्यवाही संपन्न होने के उपरांत विस्तुत अंतिम जांच प्रतिवेदन पृथक से प्रस्तुत किया जाएगा।

उपरोक्तानुसार जांच दल के समक्ष शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत के बिन्दुवार जांच के दौरान संस्था के संचालक मंडल द्वारा प्रस्तुत सामूहिक कथन एवं उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत बिन्दुवार जांच के दौरान पाये गये तथ्यों एवं निष्कर्षो का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह पाया गया कि संस्था का गठन जनसंपर्क विभाग द्वारा अधिमान्य पत्रकारों को भूखण्ड आबंटित किए जाने के उद्देश्य से किया गया है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य शासन द्वारा संस्था को रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराया गया है। तथापि संस्था अपने गठन के मूल उद्देश्य की पूर्ति करने में अपेक्षित रूप से सफल नहीं रही है। अतएव संचालक मंडल द्वारा छ.ग. सहकारिता अधिनियम, नियम व संस्था की उपविधि के पालन हेतु रजामंद नहीं है और अपने दायित्व के प्रति उपेक्षावान रहा है। तदानुसार अंतरिम जांच प्रतिवेदन आपकी ओर अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

दिनांक 03.08.2026

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(रितेश तांडी)
व.स.नि. एवं जांच अधिकारी
कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता,
जिला– रायपुर (छ.ग.)

(एम एल अनंत)
व.स.नि. एवं जांच अधिकारी
कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता,
जिला– रायपुर (छ.ग.)